

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

आधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 176] नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 1981/वैशाख 23, 1903
No. 176] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 1981/VAISAKHA 23, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paghag is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 मई, 1981.

सां० कां० नि० 348(अ):—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—
1. (1) इस आदेश का मसिफ्त नाम उर्वरक (नियंत्रक) द्वितीय संशोधन आदेश, 1981 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2 उक्त आदेश के खंड 13 में उपखंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

- (3) "अनुसूची 1 के क्रम संख्या 5, 24 और 25 पर (दर्शित) कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाएगा। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की अनुज्ञा से इसका उपयोग औद्योगिक प्रयोजन के लिए भी किया जा सकेगा। औद्योगिक उपयोग के लिए परिमाण भी कृषि मंत्रालय द्वारा आवंटित किया जाएगा।"

[सं० 11-3/79-एस० टी० यू०]

जी० एस० विद्यार्थी सयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 13th May, 1981

G.S.R. 348(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to further amend the Fertiliser (Control) Order, 1957, namely —

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Control) Second Amendment Order, 1981.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette

2. In clause 13 of the said Order the following sub-clause shall be inserted after sub-clause (2) :—

"(3) Calcium Ammonium Nitrate at serial numbers 5, 24 and 25 of Schedule I shall be used as a fertiliser. It can also be used for industrial purposes with the permission of the Central Government in the Ministry of Agriculture. The quantity for industrial use shall also be allotted by the Ministry of Agriculture."

[No. 11-3/79-STU]

G. S. VIDYARTHY, Jt Secy.